96

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा–II,
ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांकः ग्रे.नो./आ0 सम्पत्ति/आरक्षण/2012/05
दिनांकः 06 ~~जुलाई,~~ अगस्त 2012

कार्यालय आदेश

उद्योग अनुभाग-II, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 24.11.1992 के क्रम में प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राधिकरण की आवासीय भूखण्डों/भवनों की योजनाओं में वर्तमान में निम्नानुसार आरक्षण का प्राविधान हैः-

कमांक	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर क्रियाशील औद्योगिक इकाइयाँ	17.5 प्रतिशत
2.	ग्रामवासी, जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा के सुनियोजित विकास के लिये अधिग्रहित की गई है ।	17.5 प्रतिशत
3.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित वाणिज्यक भूखण्डों/दुकानों एवं संस्थागत भूखण्डों पर क्रियाशील वाणिज्यक एवं संस्थागत इकाइयाँ	10 प्रतिशत
4.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी/अधिकारी	5 प्रतिशत
5.	अनारक्षित	50 प्रतिशत

उपरोक्त आरक्षित श्रेणियों में 18 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु अनुमन्य है ।

प्राधिकरण की दिनांक 09.07.2012 को सम्पन्न 92वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में लाई जाने वाली आवासीय भवनों /भूखण्डों के आवंटन की योजनाओं में निःशक्तजन अधिनियम–1995 की धारा–43 के प्राविधानों के दृष्टिगत समाज के विकलांगजनों हेतु, आरक्षित श्रेणी में 03 प्रतिशत का होरीजेंटल आरक्षण तथा शेष अनारक्षित श्रेणी में भी 03 प्रतिशत का होरीजेंटल आरक्षण इस आशय से अनुमन्य किया जाता है कि यदि इस श्रेणी में आवंटन हेतु पात्र विकलांग आवेदक नहीं मिलते हैं तो पूर्व अनुमन्य व्यवस्था के अनुरूप अन्य पात्र आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा ।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे ।

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. विशेष कार्याधिकारी (वाई.वाई.) को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त विभागध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति) को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
6. प्रबन्धक (मार्केटिंग/सी.आर. सेल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. ~~प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की बेव–साइट पर प्रसारित करने हेतु ।~~

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी